Title: Further discussion on the motion for consideration of the Land Acquisition (Amendment) Bill, 1998 (Substitution of new section for section 16, etc.) moved by Shri Bhagwan Shankar Rawat on the 4th December, 1998. (Bill −Withdrawn)

15.23 hrs.

MR. CHAIRMAN: Now, the House will take up item no.24. Shri Varkala Radhakrishnan.

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN (CHIRAYINKIL): Mr. Chairman, Sir, it is an admitted fact that the present Land Acquisition Act of 1894 is defective in many ways. The first thing which I would like to point out is regarding the compensation awarded for the land acquired. There is a lot of delay in getting awards for compensation. Now, the Collector is the competent authority and the procedure adopted there takes months and even years to complete it. Then, the reference to the civil court for further compensation also involves a number of years. So, the result is that the poor farmer is put to difficulties. He cannot get compensation at the proper time and he has to wait for years. So, this cumbersome procedure will have to be prevented and it has to be avoided so that the peasant, who is aggrieved, may get the compensation at the proper time. So, for that purpose, we will have to simplify the procedure that is available in the present Act.

Then, the solatium granted for the improvement made in the property is also delayed. He cannot get it at the proper time. Even the compensation that is taken into consideration is very less and the solatium that is determined by the Revenue Officer is also far less than the market value. That will also result in loss to the poor peasant who has effected valuable improvements in the property. So, all these things require some drastic changes.

I would support the Bill provided these provisions are made therein.

Then, I would like to point out another aspect. Now, there is a provision for taking an advance possession of the property. When it is required for a public purpose, the Government or the acquiring authority can take possession of the property even without payment of compensation. That also leads to some difficulty because the land is taken possession of. The concerned revenue authorities do not take any interest in doing justice to the farmer, that is, the person who has lost his property. Such a situation should not continue for ever. That will have to be eliminated.

For that purpose, I would suggest another aspect. Once an advance possession has been taken, the land is kept idle for years. I know of instances where the revenue authorities, after obtaining possession of the property, have been keeping the property idle without doing any improvement on the property for even 15 to 20 years. The property is kept idle or fallow. No cultivation is possible there. In the end, the acquiring authority may say that the property is not required. Then, it has to be returned to the owner without any improvement. So, this process of delay should be prevented. Once the property is taken over, the Government or the acquiring authority must make it sure that the property will be required for the purpose for which it has been acquired. But that is not done. There should be a time-limit for taking advance possession of the property. Rather their taking over the property by advance possession and keeping it idle for a number of years is really doing injustice to the person who is aggrieved. So, I would suggest that there must be a time-limit. It can be one or two years and not more than that. Such an indefinite period of keeping the possession of property without doing anything is detrimental not only to the interest of the farmer - the owner - but is also a national waste even if it is done by the Government. At any rate, the possession of the property should be taken for any public purpose and the public purpose should be achieved within a short time without which there is no justification for continuing the process for a long time. This is another aspect which will have to be looked into by the concerned authorities. So, in these matters, the present law requires some changes.

I know there were municipal acquisitions of landed property. But the municipality will do nothing. They would not take possession of the property. They would not even deposit money in the Treasury for being given to the person who is aggrieved. The municipality or the local body, whichever is applicable, will remain silent for a long time. They will keep it idle for a long time without paying, to some extent, the money required. That will

also lead to substantial loss to the farmer whose land is acquired. So, such an uncertain situation should not exist. These are some of the difficulties which are experienced by the farmers at large in our country. In order to obviate these difficulties, it would be better if the present Act is amended in such a way to suit the present conditions.

With these observations, I support the Bill introduced by my friend. I do agree in every way that the present statute will have to be amended. It is only just and proper that he has brought the Bill forward.

But I do not agree with the observation made by the mover of this Bill. That is not good.

With these observations, I support the Bill and the concerned Minister may take all these matters into consideration and bring a new Bill so that in the changed circumstances, the requirements of the nation as well as the requirements of the farmers could be met.

With these words, I conclude.

श्री हीरा लाल राय (छपरा): सभापति जी, लैण्ड ऐक्वीज़ीशन ऐक्ट जिसको हम पास करना चाहते हैं, इसकी स्थिति यह है कि इस लैण्ड ऐक्वीज़ीशन ऐक्ट का बहुत दुरुपयोग देश के अंदर हो रहा है। उसका तरीका यह है कि दो तरह का लैण्ड ऐक्वीज़ीशन मुख्यतः देखा गया है। एक ऑर्डिनेरी प्रोसेस और दूसरा इमरजेन्सी प्रोसेस। इन दो के तहत लिया जाए तो कभी-कभी ऐसा भी देखा जाता है कि जिसको ऑर्डिनेरी प्रोसेस में लिया जाना चाहिए वह इमरजेन्सी प्रोसेस में ले लिया जाता है और जिसे इमरजेन्सी प्रोसेस में लिया जाना चाहिए, वह ऑर्डिनेरी प्रोसेस में ले लिया जाता है। इसलिए क्लियर लाइऩ ऑफ डिमार्केशन होना चाहिए कि कौन ऑर्डिनेरी प्रोसेस का केस बनता है और कौन सा इमरजेन्सी प्रोसेस का केस बनता है।

दूसरी बात यह है कि जब हम किसी किसान की जमीन लेते हैं तो उसमें देखा जाता है कि उसका वैल्यूएशन इस तरह से होता है कि इसके पहले जो ज़मीन लिखाई गई है, उसी का पैसा उसको देना पड़ता है, लेकिन जो लोग लैण्ड ऐक्वीज़ीशन प्रोसेस को इस्तेमाल करके जमीन लेना चाहते हैं, वह चालाकी करते हैं कि एक दो महीने पहले कोई जमीन लिखवा लेते हैं। पैसा तो बहुत ज्यादा देते हैं लेकिन कम पैसा लिखवाते हैं। नतीजा यह होता है कि वही लिखाया हुआ दाम जमीन का लगता है जो बहुत खतरनाक चीज़ है। इस तरह से लैण्ड ऐक्वीज़ीशन प्रोसेस अच्छी चीज़ है। पब्लिक पर्पसेज़ में इसको ऐक्वायर किया जाता है, लेकिन उसमें धांधली की काफी गुंजाइश रहती है। इसलिए उन सभी पहलुओं पर विचार करते हुए इस बिल को पास करना चाहिए।

श्री आदित्यनाथ (गोरखपुर) : सभापति जी, माननीय सदस्य श्री भगवान शंकर रावत जी द्वारा भूमि अर्जन अधिनियम १८९४ में संशोधन करने वाला जो विधेयक पेश किया गया है, मैं इसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। निश्चित रूप से जब भी सरकार द्वारा किसी ज़मीन का अधिग्रहण होता है तो अक्सर ध्यान नहीं दिया जाता कि वास्तव में हम जिस भूमि का अधिग्रहण कर रहे हैं, उस भूमि का अधिग्रहण करने के बाद इसका उपयोग ज्यादा महत्वपूर्ण होगा या इस समय जो वर्तमान स्थिति में है, इसमें ज्य्दा अच्छा होगा। बहुत बार बहुत उपजाऊ भूमि जो किसानों के हित में होती है, उसका अधिग्रहण कर लिया जाता है और वर्षों तक उसका उचित मुआवज़ा गरीब किसानों और काश्तकारों को नहीं मिल पाता है। मैं गोरखपुर की बात करता हूं। वहां पर नदी के किनारे तटबंध बनाने के लिए कुछ ज़मीनें किसानों की ली गई थीं। आज १८-२० वर्ष हो गए हैं परंतु जिन किसानों की जमीन उसमें चली गई थी, उन किसानों को आज तक उसका उचित मुआवज़ा नहीं मिला। यही स्थिति गोरखपुर में मीडा की है । वहां पर किसानों की जो जमीनें अधिग्रहीत की गई थीं, उन जमीनों का उचित मुआवज़ा न मिलने के कारण सरकार को अरबों रुपये का घाटा हुआ था और साथ-साथ पिछले आठ-दस वर्षों से जो नौएडा की तर्ज पर वहां विकास करने की बात की गई थी, वह भी बेमानी सिद्ध हुई।

वहां न तो किसान अपनी खेती कर पा रहे है और न ही उस जमीन का उपयोग किसी प्रकार के उद्योगधंधों को लगाने में किया जा रहा है।

सभापति महोदय, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि अक्सर यह होता है कि भूमि अधिग्रहण के नाम पर आदिवासियों और वन में रहने वाले गरीब जनजातीय लोगों का शोषण होता है। उनको सरकार के द्वारा जबरदस्ती उनकी जमीन से हटा दिया जाता है। इसलिए निश्चित तौर पर इसके संबंध में संविधान में संशोधन करने का प्रस्ताव हमें करना चाहिए, जिससे कि भूमि अधिग्रहण के नाम जो उत्पीड़न और शोषण होता है, वर्षो-वर्षों तक वहां के स्थानीय नागिरकों और गरीब किसानों का शोषण होता है, उनको उनकी भूमि का उचित मुआवजा नहीं मिल पाता है। उन सभी का यह शोषण और उत्पीड़न बंद होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

1536 hours
SHRI P.C. CHACKO (IDUKKI): Sir, I support the Bill moved by Shri Bhagwan Shankar Rawat. Probably some of the legislations which are centuries old are still remaining on our Statute Book. The amendment to the Land Acquisition Act -- I think according to my memory the latest amendment came in 1984 -- was to rectify some of the anomalies that crept into the Act or which required timely changes which should have been affected into the Act. But the fact still remains that this statute requires a lot of amendments and in a developing society like ours for various reasons the Government will have to acquire land. And the Collector who is empowered according to the Act to acquire land does so by the discretionary powers. In fact, when the Collector or any other authority

whoever it may be, has got very vast powers which are beyond all definitions, probably, this is causing a lot of hardships to the land owners.

In fact, the fact still remains that this has become a racket of late. We all know that for Government purposes land is being acquired. And today because of the recessionary trends in the economy, land sale has come to a grinding halt. Land valuation is also dipping and land is not very appreciating commodity nowadays. But the fact remains that three times or four times of the value of the land is being awarded by the courts and I cannot say here in Parliament that there are some malpractices or corrupt practices in the courts. Probably in Parliament if I say that corrupt practices are there in the courts, it may not be correct. But we all know the tactics applied by the interested parties, that with the connivance of the lawyers as well as of the courts unreasonable compensation in many cases is being awarded to the land owners and land acquisition cases have become a very fertile ground for many of the lawyers.

I am not blaming anybody. But the fact is that the kind of cases which are pending for years together in the courts and the compensation the Government is giving is beyond all reasonable limits which is happening on the one side. On the other side what is happening is that whatever is the malpractice or the reasonable price, three or four times of it is awarded. by the courts and whatever is awarded by the court is considered as sacrosanct and there is no question also. The Government is shelling out money and this has become a very lucrative business in many cases.

Another thing which is happening is that as mentioned by my hon. friend Shri Radhakrishnan, what is the public purpose and what exactly is the extent of land required for a public purpose. Without looking into all these aspects the whole area is frozen. In fact, at many places, it is happening that land acquisition is done without going into the exact requirement of the land by the Government, whether it is for an industry or for any Government purpose, how much land is required, even without making a preliminary study or an exact study, one whole area is frozen. So, what is happening is ultimately the poor owner of the land cannot do any important thing if anything is needed because the whole area is frozen. One does not know how much time is going to be taken up. Here Section 28-A takes about the minimum price. That is very relevant according to me because the requirement of the Government or of the public purpose, for an industrial purpose, that can be gone into at a local level.

It is in the sense that what exactly is the requirement of that particular industry or that particular public purpose can be very well defined. If 10 acre of land is required for a purpose and if the whole area is frozen, the casualty is the owner of the land. The owners, in many cases, may be poor or holders of five cents or ten cents like that. In many other industrial areas, what is happening is that the land which is in the periphery of the industrial area is always under a constant threat. They cannot do any improvement in their land. They cannot construct any building in their land because every time the threat is that this may be taken for an expansion. So, it is basically infringing into the fundamental rights of an individual. So, land acquisition has to be rationalised and it has to be scientifically defined. That is why, this Land Acquisition Act needs a lot of amendments. Probably, an amendment should have been placed before this House officially by the Government. Shri Bhagwan Shankar Rawat has taken pains to bring some very good amendments for rationalising this old statute. I feel that many more such amendments can bring this legislation up-to-date, and which can rectify many of the lacunae or deficiencies which are existing in this law.

Some of the amendments being proposed will definitely make this law more progressive or more up-to-date. So, with that, the limited intention can be achieved by passing this Resolution. Of course, very often the Private Member's Resolution is being accepted in this House. The Government takes a view that it is after all a Private Member's Resolution. When a Resolution is being accepted, probably, it becomes almost mandatory on the Government. I do not know whether I can use the word `mandatory'. But the Government has got a responsibility and it has to look into the sentiment and the opinion that is being expressed in this House. So, here without any dispute, none of the Members who participated in the discussion said that these proposals cannot be supported. So, this shows the unanimity, the urgency or the necessity of the amendment in such an Act. So, a very few amendments have come for the Land Acquisition Act which is a century old. Only once it had come and very minor amendments were proposed.

Now as a Private Member, the amendment moved by Shri Bhagwan Shankar Rawat brings to light the urgency of the situation as to how and what kind of changes are required in this kind of a statute. Probably, in a society like ours, developmental purpose has to get some priority because there has to be some powers vested with the authorities. Otherwise, probably, the individual's freedom and the public purpose will come into clash. So, naturally, the public purpose or the public interest has to get precedent. So, in that kind of a situation, the

authority with the Collectors or with the concerned officers is a must. Probably, they cannot do away with it. At the same time, it should not infringe beyond a reasonable level into the freedom of the individual. Here is a situation where the individuals are constantly at threat or justice is delayed to them because today it is prescribed in this amendment that if it is not used for 10 years, it can be taken back. Even 10 years is too long a period. So many things can happen in 10 years' time. How much does the property value go up if the economy is in a vibrant state? We have seen that in the past. In five years' time or in ten years' time, the property value goes up by three or four times like that. I do not think that will happen if the BJP Government is continued because the property value is going down. The economic condition as a whole is going down.
PROF. P.J. KURIEN (MAVELIKARA): The value of human life is going down.
SHRI P.C. CHACKO : Everything is going down. As Prof. Kurien said, even the value of human life is also going down. I do not know whether Major General Bhuvan Chandra Khanduri is aware of that. This danger is not there because even if the whole land is frozen, as long as your Government is there, there is no harm for the land owners. But if in a situation where the economy is to grow at a reasonable level, the land prices will increase manifold. In two or three years' time, it is going to be 100 or 200 per cent like that. Freezing the land to the disadvantage of the poor landholders is a great injustice. So, Shri Bhagwan Shankar Rawat has suggested 10 years' period as a limitation period. If it is not used, then you please give it back with the improvement charges. I feel let the collective wisdom of the House prevail and it should see, there is a time limitation. That will send a good message. Individual's freedom is the most important thing in our society, in our Constitution.
That is always our plus point in our society. Individual freedom should not be allowed to infringe upon in an unlimited manner by the overriding powers of the Government or by the authority. That situation should not happen and, in that aspect, I wholeheartedly welcome this Bill. If that limitation can be further reduced to a period of five years or for three years or some reasonable period like that, it will be more useful to the people. As public workers in day to day life, we come across a number of instances where such things are happening. It is a famous dictum in our legal system that justice delayed is justice denied. After 15 years, if justice is administered to somebody who is going to benefit? Administration of justice is inordinately delayed. It is happening in all these types of cases. Probably these minor amendments which are being proposed can be taken by the Government. A very responsible Member from the ruling party has moved this motion. Sometimes if it is a Private Member's Bill and if it is passed, what will happen to the Government? Then it is binding on the Government. All these kinds of things are there. We have attained flexibility in the system. So, there is no harm in Government accepting this Bill. If this Bill is passed by this House, I do not think it is going to do any harm. It is a custom in this House that the Minister will make a request or with all good intentions we discuss and we say we withdraw the Bill and that chapter is over. If there is a guarantee that Government is going to bring a comprehensive legislation, we can understand it. Otherwise, even if it is one step forward, that one step is commendable and it should be accepted and I feel that the Land Acquisition Act which is there needs a lot of amendment and this is one step forward in that direction. This will help landowners and also curtail the overriding powers of the authorities who are in indiscriminate manner exercise authority to the detriment of individual freedom.

I think this amendment can be accepted and the whole House, all those who support this Bill are expressing in a unanimous way that these amendments are welcome amendments. These are to be agreed upon by all the parties of this House.

With these words, I congratulate Shri Bhagwan Shankar Rawat. It is drafted nicely in a very good legal language and in a very scientific manner and this Bill definitely deserves the appreciation of everybody in this House. I congratulate Shri Bhagwan Shankar Rawat and I support this Bill.

श्री कल्पनाथ राय (घोसी) : आदरणीय सभापति जी, भूमि अधिग्रहण के संबंध में जो संशोधन बिल लाया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। आदरणीय जेठ मलानी जी से मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि बड़े भाग्य से आप हिन्दुस्तान के शहरी विभाग के मंत्री बने हैं। आज पूरे देश का शहरीकरण हो रहा है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था धीरे-धीरे शहरी अर्थव्यवस्था में बदल रही है। हिन्दुस्तान के लाखों गांव धीरे-धीरे खत्म हो रहे हैं। हजारों की संख्या में नये-नये शहर बस रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि ऐसी हालत में सरकार क्या कदम उठायेगी जिससे हमारे देश की व्यवस्था अच्छी हो। आज स्थिति यह हो गयी है कि शहरों में लोगों की नारकीय स्थिति हो रही है। आज शहरों में काफी प्रदूषण है जिसकी वजह से लोगों की हालत खराब हो रही है। वहां न तो पीने के पानी की व्यवस्था है, न बिजली की व्यवस्था है और न ही सड़कें अच्छी हैं। इसके बावजूद भी लोग गांव को छोड़कर शहरों की तरफ भाग रहे हैं। शहर सबसे ज्यादा खराब हो रहे हैं। मेरा सरकार से निवेदन है कि हिन्दुस्तान के जितने भी शहरी इलाके में एक लाख से अधिक आबादी है, वहां एक डेवलपमैंट अथारिटी कायम की जानी चाहिए। आप जो जमीन ले रहे हैं, उस जमीन का विकास बढ़िया ढंग से किया जाना चाहिए और जिन किसानों की जमीन आप ले रहे हैं, उन किसानों को उसका उचित दाम मिलना चाहिए। यानी आप मिट्टी के दाम उनकी जमीन को लें और फिर सोने के दाम उस जमीन को शहर में बसने वालों को बेचें, यह भी अच्छी बात नहीं है।

आप जिन किसानों की जमीन ले रहे हैं, उनको उसका उचित दाम मिलना चाहिए और उसके बाद एक डेवलपमैंट अथारिटी बननी चाहिए। वह डेवलपमैंट अथारिटी बनने के बाद उस शहर में कितने लोग रहेंगे, उन रहने वाले लोगों को कितनी मात्रा में पानी मिले, बिजली मिले,

कितनी सड़कों की व्यवस्था होनी चाहिए, उसे दिमाग में रखकर ही शहरीकरण, नगरीकरण या शहरों का विकास किया जाना चाहिए। आज देश की स्थिति बहुत खराब है। दिल्ली जो भारत की राजधानी है, उसमें उत्तर प्रदेश और बिहार से लोग नौकरी करने आते हैं। उनकी तनख्वाह तीन हजार रुपये है लेकिन तीन हजार रुपये में एक कमरे का मकान नहीं मिलता। वे कहां रहेंगे, उनके बच्चे कहां पढ़ेंगे, कैसे अपना जीवन निर्वाह करेंगे, तीन हजार रुपये तनख्वाह है और तीन हजार रुपये में क्वार्टर मिल रहा है। दिल्ली में आप इतने लोगों को कैसे ऐलाऊ करते हैं। यदि दिल्ली में पचास लाख लोगों के लिए पानी, बिजली की व्यवस्था है, पचास लाख लोगों के लिई ही सड़क है तो इसमें यदि दो करोड़ की पौपुलेशन रहने लगेगी तो न ही किसी को पानी मिलेगा, न बिजली मिलेगी, न किसी को रहने के लिए अच्छे आवास मिलेंगे और न ही सड़कें मिलेंगी। यह बहुत सौभाग्य की बात है कि आप जैसा तेज-तर्रार देश का योग्य व्यक्ति आज शहरी विकास मंत्री बना और आपके रहते हुए यदि हिन्दुस्तान की व्यवस्था का नए संदर्भ में निर्माण नहीं हुआ, यदि नए ढंग के शहर विकसित नहीं हुए नई डैवलपमैंट अथॉरिटी नहीं बनी, किसानों को अच्छा न्याय नहीं मिला और जो शहर बसे, उनमें सारी व्यवस्थाएं नहीं हुईं तो मंत्री तो बहुत से आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन आप हिन्दुस्तान के माने हुए विधिवेता है और आप जैसे लोग पुनः शायद बहुत कम हों, इसलिए मुझे आपसे उम्मीद है क्योंकि यह आपका ही कानून है, मुझे प्रार्थना करने में कोई दिक्कत नहीं है। पूरे हिन्दुस्तान के पैमाने पर सारे शहर नर्क बन रहे हैं, नर्क झूठा हो गया है, गांवों में जिले के स्तर के जो शहर हैं, उनकी स्थिति इतनी भयावह है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जो कौसमोपोलीटन सिटी है, उसकी भी हालत बहुत खराब हो रही है, आप खुद देख रहे हैं। मेरी एक ही प्रार्थना है कि किसी भी जिन्दा शहर के लिए यह जरूरी है कि उस शहर की बिजली, पानी की व्यवस्था वैज्ञानिक ढंग से हो, सड़कें ठीक हों,अच्छे एक्सप्रैस हाईवेज बनें, पढ़ाई और स्वास्थ्य की सेवाएं बहुत अच्छी हों। इन्हीं सब कामों के लिए भूमि अधिग्रहण की जाती है। भूमि अधिग्रहण के दो ही औब्जैक्टिव्ज हैं कि नए शहर में जो फैलाव होता है, उसमें अच्छे ढंग से लोगों के बसने की व्यवस्था की जाए और जो जमीन आप लेते हैं, चारों तरफ हाहाकार मचता है, हर वर्ष किसान रोते हैं कि हमसे मिट्टी के दाम जमीन ली जाती है और वही जमीन सालभर बाद सोने के दाम बिकने लगती है। आपके रहते हुए उनको उचित मुआवजा दिया जाए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हैं और आपसे इसलिए अपील कर रहा हूं कि आपके माध्यम से हिन्दुस्तान के नगरीकरण और शहरीकरण की प्रक्रिया इतनी अच्छी हो कि दुनिया के लिए एक नकल की वस्तु बने।

श्री राजवीर सिंह (आंवला): सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं श्री भगवान शंकर रावत जी को भी धन्यवाद दे रहा हूं जिन्होंने सही समय पर सही बात की है, भूमि अधिग्रहण (संशोधन) विधेयक लाकर बहुत अच्छा काम किया है। यह सन् १८९४ का कानून है। उस समय शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में जमीनों की कोई कीमत नहीं हुआ करती थी और अब शहरों में जमीनों के दाम आसमान छू रहे हैं।

एक कलैक्टर को यह अधिकार दे दिया गया है कि किसी भी किसीन की जमीन का अधिग्रहण कर ले और औने-पौने मामूली दामों में उसको क्लेम दे दिया जाये। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे ही क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में कई जिलों में विकास प्राधिकरण बने, उन विकास प्राधिकरणों ने दो रुपये गज और तीन रुपये गज में किसानों की भूमि ले ली और रहने वालों को वह भूमि २०० रुपये गज और ३०० रुपये गज बेची गई। जो जमीन उस समय नहीं बंटी थी, आज बची है तो वह २००० रुपये गज और ३००० रुपये गज बिक रही है। सरकारी एजेंसियां इतना मुनाफा कमायें और गरीब किसान, जिनकी पुश्तैनी जमीन है, उनको दो रुपये गज और चार रुपये गज का मुआवजा मिल जाये, यह तो उनके साथ अन्याय है। आज भी ऐसे किसानों की भूमि लेकर पड़ी हुई है, जिनका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। बड़ी-बड़ी फैक्टरी के मालिक कलैक्टरों से मिलकर, सरकारों से मिलकर हजारों बीघा जमीन ले लेते हैं और उसका उपयोग भी नहीं कर पाते हैं। अभी बरेली में ही कई फैक्टरियां ऐसी हैं, जिनके पास काफी जमीन बेकार पड़ी है, उन्होंने उस समय सस्ते में ले ली है, लेकिन अब वे उसको अपनी बाउण्ड्री के अन्दर लिए हुए हैं, या तो उस पर उन्होंने पेड़ लगा दिये हैं, जब सीलिंग का मामला चला था तो यह लगा था कि यह जमीन चली जायेगी तो थोड़े बहुत पेड़ लगा दिये। वे पेड़ भी ऐसे ही कानून से बचने के लिए लगाये गये थे। अब उन किसानों की जमीन, जिनकी जमीन ४०-५० साल पहले मामूली पैसों पर ले ली गई, आज वही जमीन बहुत कीमत वाली जमीन हो गई है। मैं आपके माध्यम से सरकार से, हमारे शहरी विकास मंत्री जी बैठे हैं, ग्रामीण विकास मंत्री जी भी बैठे हैं, शहरी और ग्रामीण, दोनों क्षेत्रों का विकास ठीक से हो, इसके लिए मैं यह चाहूंगा कि उन जमीनों को वापस लिया जाये और उन किसानों को वह जमीन वापस दी जाये।

इन्होंने जो कहा है कि दस वर्ष में योजना लागू होनी चाहिए। यह बात सच है, मैं तो चाक्को जी की इस बात का समर्थन करता हूं कि दस वर्ष का समय भी बहुत ज्यादा है, इसलिए कोई भी फैक्टरी लगनी है, कोई भी विकास होना है, कोई प्राधिकरण किसी चीज को विकसित करना चाहता है तो उसके लिए पांच साल से ज्यादा का समय नहीं देना चाहिए। मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करूंगा कि यह अच्छा बिल है और इस बिल पर सहमति है, सर्वसम्मति है, चाक्को जी कह रहे थे कि बी.जे.पी. की सरकार है, यह बात सच है कि १८९४ में बी.जे.पी. की सरकार नहीं थी, यह बात भी सच है कि १८९४ के बाद से लेकर १९९८ तक बी.जे.पी. की सरकार नहीं थी। १०४ साल के बाद भी बी.जे.पी. की सरकार तो आज भी नहीं है, बी.जे.पी. के मित्रों की सरकार है, बी.जे.पी. और बी.जे.पी. सहित अन्य दलों की सरकार है। मगर उसके बावजूद बी मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि कम से कम आपको यह चीज याद आई कि बहुत खराब स्थिति है, किसानों की दयनीय स्थिति है। उससे बचने के लिए आपने इसका समर्थन किया है, उसके लिए मैं आपको भी धन्यवाद देता हूं। यह सर्व-सम्मत राय है, यहां पर अधिकांश किसानों के प्रतिनिधि आते हैं, शहरी स्थिति में कल्पनाथ राय जी ने जो बात कही है, वह अपनी जगह सच है। शहर आज स्लम बनते जा रहे हैं।

एक बात यह भी देखनी पड़ेगी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आखिर ग्रामीण क्षेत्रों से लोग शहरों की तरफ भाग क्यों रहे हैं। यह एक बहुत अहम मुद्दा है। क्या ग्राणीण क्षेत्रों में हम उनको सुविधाएं दे पा रहे हैं? क्या हम ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी शिक्षा की व्यवस्था कर पा रहे हैं? क्या ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी सुरक्षा की व्यवस्था कर पा रहे हैं? क्या ग्रामीण क्षेत्रों में उनके जीवन-स्तर को ऊंचा करने के लिए कुछ कर पा रहे हैं? हिन्दुस्तान की ५० साल की आजादी के बाद आज भी हजारों गांव ऐसे हैं, जहां पैदल जाना भी मुश्किल है। वहां बैलगाड़ियां नहीं जा सकतीं, लोग पैदल नहीं जा सकते। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि अगर उनके घर में बच्चा बीमार हो जाये या किसी की पत्नी बीमार हो जाये तो उसको ईलाज करने के लिए भी नहीं लाया जा सकता है। इसलिए मैंने देखा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जहां किसी के पास थोड़ा बहुत पैसा हुआ तो वह तुरन्त शहरों की तरफ भागता है, तहसील केन्द्र या जिला केन्द्र की तरफ भागता है और वहां जाकर १०, २०, ५० या १०० गज जमीन लेकर एक छोटा-मोटा मकान बनाकर रहना शुरू कर देता है। इसके कारण परेशानी क्या हो रही है कि शहरी विकास में भी अड़चन आ रही है। जहां जिसकी जैसी मर्जी आती है, वही मकान बना लेता है। वहां पानी निकलने के लिए नाली नहीं है, बरसात आती है तो बाढ़ आती है, उनके घर डूबने लगते हैं। मैंने तो ऐसे-ऐसे मकान देखे हैं, मुझे आश्चर्य होता है कि विकास प्राधिकरण करते क्या हैं। विकास प्राधिकरण का काम है कि बिना नक्शा पास किये, बिना अनुमति के मकान नहीं बनना चाहिए।

16.00 hrs.

मगर विकास प्राधिकरण सोते रहते हैं और मकान बनाए जाते हैं। सभापति महोदय, आप आश्चर्य करेंगे कि ये सड़क के लैवल से एक मंजिल नीचे तक मकान बनाते हैं। हमारे बरेली में गणेश नगर में एक कालोनी बनी है। हमने सोचा कि वहां पानी की निकासी के लिए नाला बनाया जाए, जिससे वहां का पानी नाले के माध्यम से नदी में चला जाए। लेकिन जब बारिश हुई तो नदी का पानी नाली से होते हुए कालोनी में आ गया और पूरी कालोनी पानी से भर गई, ऐसी स्थिति में आप सोच सकते हैं कि विकास प्राधिकरण ने वहां क्या काम किया होगा।

शहरों के जो विकास प्राधिकरण हैं, वे भ्रष्टाचार से लिप्त हो चुके हैं। इसलिए मैं मंत्री जी से अपील करूंगा कि इस संशोधन को पास किया जाए। ये छोटी-छोटी समस्याएं हैं, जिनके कारण शहरों में स्लम बनते जा रहे हैं। जैसे दिल्ली में देखिए, यहां बिजली, पानी, यातायात की समस्या खराब हो गई है। वह इसलिए हुई है कि गांवों के लोग रोजगार न होने के कारण शहरों में रोजगार और शिक्षा के लिए आते हैं और झुग्गी-झोंपड़ियां बनाकर रहते हैं।

सभापति महोदय :सभा की अनुमति हो तो इस बिल के लिए आधा घंटे का समय और बढ़ा दें, क्योंकि मंत्री जी भी जवाब देंगे।

कुछ माननीय सदस्यः ठीक है।

श्री राजवीर सिंह : मेरा अनुरोध है कि भगवान शंकर रावत जी ने जो संशोधन विधेयक यहां रखा है, उसे सर्वसम्मति से पास किया जाए और सरकार उसे एडाप्ट करे। भूमि अधिग्रहण में शहरी लोग पीड़ित नहीं होते, बल्कि ग्रामीण लोग, किसान पीड़ित होते हैं। किसानों के प्रति चुनावों के समय लोग बहुत चिंतित रहते हैं। उस समय लोग कहते हैं -उत्तम खेती, मध्यम बान, निखद चाकरी, भीख निदान। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो इस समय निखद खेती हो गई है। ५० वर्षों में किसानों की खेती की हालत खराब होती जा रही है।

अभी हमने देखा कि आलू और प्याज काफी महंगे हो गए थे और इस पर बड़ा शोर मचा था। लेकिन आज किसान ने आलू इतना बो दिया कि उसका आलू कोई दो रुपए किलो भी लेने को तैयार नहीं है। इस समय का आलू कोल्ड स्टोरेज में भी रखने लायक नहीं है, क्योंकि वह कच्चा है। देखा जाए तो किसान फसल के समय भी मारा जाता है, जब अपना उत्पाद बेचने जाता है, तब भी मारा जाता है और जब उसकी जमीन ली जाती है, तब भी मारा जाता है। मेरा निवेदन है कि जब उसकी जमीन का अधिग्रहण किया जाए तो उसके दाम निश्चित किए जाएं। अगर विकास प्राधिकरण उससे ली हुई जमीन को १००० रुपए मीटर बेचता है तो किसान को उसका दाम ५००-६०० रुपए मीटर मिलना चाहिए, जबकि अभी उसको दस या बीस रुपए मीटर ही दिया जाता है। यह ठीक है कि विकास प्राधिकरण का खर्च जमीन के विकास पर होता है, लेकिन वह कितना खर्च करता है इसको भी देखना चाहिए। विकास प्राधिकरण मुनाफाखोर संस्था नहीं होनी चाहिए, लोगों को सुविधा देने वाली संस्था होनी चाहिए, मगर आज विकास प्राधिकरण मुनाफाखोर संस्थाएं बनती जा रही हैं।

मैं माननीय सदस्य भगवान शंकर रावत जी का बहुत-बहुत आभारी हूं कि उन्होंने समय पर सही बात उठाई है, जिसको ५० वर्षों से किसी ने नहीं देखा इसलिए मैं उनको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF RURAL AREAS AND EMPLOYMENT (SHRI BABAGOUDA PATIL): Mr. Chairman, Sir, I understand the concern and feelings of all the hon. Members. I also appreciate the efforts taken by Shri Rawat. I have taken note of all the suggestions made by the hon. Members. I have also received good suggestions from many experts and NGOs. If you go through the draft Bill, you will know that there are many good suggestions. I am going to place before the House a very comprehensive Bill. Hence, I am not accepting the Bill placed before the House by Shri Rawat in its present form and content. So, I appeal to the hon. Member to withdraw his Bill.

डा.रमेश चन्द तोमर (हापुड़)ः महोदय, माननीय रावत जी ने जो संशोधन दिए हैं, उनके भी क्या आप इस बिल में शामिल करेंगे?

SHRI BABAGOUDA PATIL: I agree with some of the provisions of the Bill which has been moved by the hon. Member.

श्री राजवीर सिंह (आंवला)ः आप नया बिल क्या इस सत्र में या अगले सत्र में लायेंगे?

श्री बाबागौड़ा पाटीलः इसी सत्र में लाने का प्रयत्न कर रहे हैं।

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर) : महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, इन्होंने जो विधेयक प्रस्तुत करने की बात कहीहै, क्या वह विधेयक शहरी कानून में परिवर्तन करने से संबंधित है या ग्रामीण क्षेत्रों को भी उसमें शामिल किया जाएगा या दोनों के बारे में होगा? कारण यह कि शहरी हदबन्दी के बारे में बात चल रही है, क्या यह उससे अलग होगा। तथा क्या दूसरे विधेयक में इसमें ग्रामीण क्षेत्र भी शामिल होंगे या नहीं - इस बारे में बतायें?

SHRI BABAGOUDA PATIL: Definitely it applies to all.

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : सभापति महोदय, जब किसानों की स्थिति को ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया, तो मुझे यह बिल सदन में लेकर आना पड़ा। मुझे अभी भी थोड़ी सी वेदना हो रही है। माननीय मंत्री जी ने कह दिया है कि सदन में प्रस्तुत सुझाव बहुत अच्छे है, काश! उन सुझावों को उन्होंने परिभाषित कर दिया होता कि कौन से सुझाव उनको पसन्द आए और कौन से सुझाव खराब रहे। लेकिन मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मंत्री जी पूरी निष्ठा और गम्भीरता के साथ जिन बिन्दुओं पर ध्यान आकर्षित किया गया है, उनकी ओर ध्यान देंगे। मैं पहले जो विचार रख चुका हूं, उनको मैं दोहराऊंगा नहीं, लेकिन मैं कुछ बाते आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं।

महोदय, किसानों की स्थिति बहुत खराब है। अर्बन लैंड सीलिंग एक्ट का जहां तक मामला है, उसमें छोटे किसान उत्पीड़ित हुए हैं और वे दया के पात्र हैं। मैं आपका ध्यान ऑल इंडिया सैसस रिपोर्ट ऑन एग्रिकल्चर, १९८५-८६, जो १९९२ में पब्लिश हुई है, की ओर दिलाना चाहता हूं। इसमें मार्जिनल होल्डिंर्स, जिनके पास एक हैक्टेयर से कम जमीन हैं, उनका कुल प्रतिशत १७.८ प्रतिशत है। जिनके पास एक हैक्टेयर से लेकर दो हैक्टेयर जमीन है, ऐसे किसान १८.४ प्रतिशत हैं। ७६ प्रतिशत किसानों के पास अनइकोनोमिक होल्डिंग्स हैं, लेकिन वे अपना जीवनयापन कर रहे हैं। साथ ही मार्जिनल किसानों के पास खेती का एव्रेज साइज ०.३९ हैक्टेयर है। छोटे भूखण्ड का एव्रेज साइज १.४३ हैक्टेयर है। इसके साथ ही ऐसे किसान जिनकी जमीन कानून के तहत ले ली गई और सरकार सोच लेती है कि थोड़ी सी जमीन ली है, लेकिन किसान का सारा फार्चयुन, उसके पालने के साधन समाप्त हो जाते हैं।